राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2447/2025

सत्येन्द्र यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, खैरथल–तिजारा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कहरानी, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.04.2025
आदेश की दिनांक : 22.04.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कहरानी जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा वर्ष 2022–2023 की रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पदोन्नति प्रदान की जाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कहरानी जिला अलवर में उपस्थिति देने के निर्देश दिये गये। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 25.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.03.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर में स्थानान्तरित किया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 04.04.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी ने जिला, अलवर, खैरथल–तिजारा के आस–पास के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उनका आगे कथन है अपीलार्थी **कैंसर** के रोग से पीड़ित है।

जिनका ईलाज राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीटयूट (एम्स), झज्जर, हरियाणा में चल रहा है (अनुलग्नक–5)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.03.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.04.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कहरानी जिला अलवर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.04.2025 (अनुलग्नक–1 व 2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)